

5/6/25 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष अवि. उप.
प्रा. पत्र-धारा-5 पर मजिद बहस हुई
पत्रावली वाटे लादेश प्रा. पत्र दि. 5/6/25
को पेश हो।

5/6/25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित।
मामली में उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र
अंतर्गत धारा 05 मयाद अधिनियम पर की
गयी बहस पर चिन्तन व मनन किया गया।
पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का
अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि
प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त
भूमियों को अपनी पैतृक हीना अंकित किया
है किन्तु प्रार्थीगण द्वारा उकरण में ऐसा कोई
ठीस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है जो
यह साबित करे कि प्रार्थीगण मूल खानेदार
हीरा डांगी की विधिक पारिसान् ही ओर ना
ही उकरण में हीरा डांगी का सजरा ही
प्रमाणित कराया गया है। जहां तक प्रार्थना
पत्र के मूल उद्देश्य मयाद अवधि का उबन
है तो प्रार्थीगण ने अपने पूरे प्रार्थना पत्र
में यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया
है कि प्रार्थीगण की उकरण के सभी तथ्यों
की प्रारंभ में जानकारी कब व किस दिनांक
की कैसे हुई। ना ही नामान्तरण केसल हीने
की दिनांक ही अंकित की गयी है। प्रार्थीगण
द्वारा अपील की विलम्ब में प्रस्तुत करने का

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नाथद्वारा, जि. राजसमन्द (राज.)

पार्थी चाबीबाई विपक्षी ग्या. पं. बिलीता

किस्म मुकदमा अपील पत्रावली संख्या 2022/84 पद

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>का कीर्ई प्रथम कारण भी अंकित नहीं किया गया है और ना ही यह अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण की किस दिनांक से लेकर किस दिनांक तक की अवधि की मयाद में शुमार करना चाहते हैं। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा अपील समय पर उत्तुत नहीं करने का ऐसा कीर्ई कारण भी अंकित नहीं किया है जो मानवीय नियन्त्रण के बाहर ही तथा प्रार्थीगण की विलम्ब की अवधि का दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना भी आवश्यक है, क्योंकि यह भार प्रार्थीगण पर ही ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मन्टेनेवल नहीं होकर विधि से परित ही स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः प्रार्थीगण का प्र. पत्र अंतर्गत धारा 05 मयाद अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है। चूंकि मामले में धारा 05 मयाद अधिनियम अस्वीकार ही अपील अपीलार्थ मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार ही नंबर से कम की जावे।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)